भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3741** जिसका उत्तर

गुरूवार, **18 मार्च**, 2021/27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है

सरोद-पोर्ट

†3741. श्री तलारी रंगैय्या:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने सस्ता विवाद-निवारण सोसाइटी-पोर्ट (सरोद-पोर्ट) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरोद पोर्ट से सही पर्यावरण सुनिश्चित होगा तथा समुद्री क्षेत्र में व्यापार को करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने को बढ़ावा देने के लिए निजी कम्पनियों में विश्वास पैदा करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (घ):- जी, हां। महापत्तन न्यासों और रियायतप्राप्तकर्ता/ ठेकेदार के बीच विभिन्न करारों के कारण तथा इनके निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले विवाद/मतभेदों के तीव्र, सस्ते, उचित और तार्किक निवारण के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण सं. एस-ई/1715/जिला दक्षिण पूर्व/2020 -दिनांक 30 जनवरी, 2020 के साथ एक 'सस्ता विवाद निवारण सोसाइटी- पत्तन (सरोद - पत्तन)' का गठन किया गया है। सरोद- पत्तन के गठन का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में रियायतप्राप्तकर्ता के विश्वास को बढ़ाना तथा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देना है।

*****